रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 1977/आषाढ़ 24, 1899

No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 1977/ASADHA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th July 1977

No. DRAWBACK/PN-30/77.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, Published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

(1) In proviso (ii) (i) under item (A) and (B) of sub-serial No. 2513 for the words and figures "Notification No. 20, dated 7-2-1977" read Notification No. 123 *and* 128 dated 1-7-1977 read with Notification No. 159-*Customs* dated 15th July, 1977."

(2) For the existing description against sub-item (1) of item (A) of sub-serial No. 2619, the following description shall be substituted, namely:—

"Fabrics including machine embroidered fabrics (other than hand embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics) and Hosiery, made wholly out of polyester filament yarn."

(3) For the existing description against sub-item (*ii*) of item (A) of sub- serial No. 2619, the following description shall be substituted, namely:—

"Fabrics including machine embroidered fabrics, (other than hand embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics) quilted fabrics, quilted blankets and Hosiery made wholly out of Nylon filament yarn."

(4) For the existing description against sub-item (*iii*) of item (A) of sub-serial No. 2619, the following description shall be substituted, namely:—

"Fabrics including machine embroidered fabrics (other than hand embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics) and Hosiery, made of mixed yarn of nylon filament and polyester filament."

(5) In proviso (2) under sub-serial No. 2620, for the figures and words "Notification No. 20 dated 7-2-1977" read "Notification Nos. 123 and 128 dated 1-7-1977 read with Notification No. 159 Customs dated 15th July, 1977.

(6) For the existing description against sub-item (*i*) of item (A) of sub-serial No. 2719 the following description shall be substituted, namely:—

"Wholly out of polyester filament yarn (other than hand embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics)."

(7) For the existing description against sub-item (*ii*) of item (A) of sub-serial No. 2719, the following description shall be substituted, namely:—

"Wholly out of nylon filament yarn (other than fishing nets, and hand embroidered or hand operated machine embroidered fabrics)."

(8) For the existing description against sub-item (*iii*) of item (A) of sub-serial No. 2719, the following description shall be substituted, namely.—

"Of mixed yarn of nylon filament and polyester filament (other than fishing nets and hand embroidered or hand operated machine embroidered fabrics)."

(9) In proviso (2) under sub-serial No. 2721 for the words and figures "notification No. 20 dated 7-2-1977" read "notification No. 123 and 128 dated 1-7-1977 read with Notification No. 159-Customs dated 15th July, 1977."

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सं० प्रति अदायगी/सा० सू० 30/77.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा-संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) उपक्रमांक 2513 की मद (क) और (ख) के अन्तर्गत परन्तुक (2) (1) में "अधिसूचना सं० 20 दिनांक 7-2-1977" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अधिसूचना संख्या 159—सी० शु० दिनांक 15—7—77 के साथ पठित अधिसूचना सं० 123 और 128 दिनांक 1—7—77" पढ़ें।

(2) उपक्रमांक 2619 की मद (क) की उप-मद (1) के सामने विद्यमान विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जायगा अर्थात् :—

"पूर्णतः पोलिएस्टर फिलामैंट धागे से निर्मित वस्त्र जिसमे (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रो से भिन्न) मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्र और होजरी भी शामिल हैं।"

(3) उपक्रमांक 2619 की मद (क) की उप-मद (ii) के सामने विद्यमान विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रति-स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"पूर्णतः नायलान फिलामैंट धागे से निर्मित वस्त्र जिनमे (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रो से भिन्न) मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्र, बुने हुए वस्त्र, बुने हुए कम्बल और होजरी शामिल है।"

(4) उपक्रमांक 2619 की मद (क) की उप-मद (iii) के सामने विद्यमान विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"नायलन फिलामैंट और पोलिएस्टर फिलामैंट के मिले जुले धागे से निर्मित वस्त्र जिनमे (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रो से भिन्न) मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्र और होजरी शामिल है।"

(5) उपक्रमांक 2620 के अन्तर्गत परन्तुक (2) मे "अधिसूचना सं० 20 दिनांक 7-2-1977" शब्दो और अको के स्थान पर "अधिसूचना सख्या 159-सीमा-शुल्क दिनाक 15-7-77 के साथ पठित अधिसूचना सख्या 123 और 128 दिनाक 1-7-1977" पढ़ें।

(6) उपक्रमांक 2719 की मद (क) उप-मद (i) के सामने विद्यमान विवरण के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पूर्णतः पोलिएस्टर फिलामैंट धागे से निर्मित (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्त चालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रो से भिन्न)।"

(7) उपक्रमांक 2719 की मद (क) की उप-मद (ii) के सामने विद्यमान विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पूर्णतः नायलान फिलामैंट धागे से निर्मित (मछली पकड़ने के जालों तथा हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गए वस्त्रो से भिन्न)।"

(8) उपक्रमांक 2719 की मद (क) उप-मद (iii) के सामने विद्यमान विवरण के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"नायलान फिलामैट तथा पोलिएस्टर फिलामैंट के मिश्रित धागे से निर्मित (मछली पकड़ने के जालों तथा हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रो से भिन्न)।"

(9) उपक्रमांक 2721 के अन्तर्गत परन्तुक (2) में "अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 7-2-1977" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अधिसूचना संख्या 159-सी० शु० दिनांक 15 जुलाई, 1977 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 123 और 128 दिनांक 1-7-1977" पढ़ें।

सी० डी० रंगाचारी, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977